राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/898 दिनांक : 04/4/25

<u>राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 10–03–2025 का कार्यवाही विवरण</u>

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 10–03–2025 को सांय 05:00 बजे प्रमुख शासन सचिव महोदया, चि0, स्वा0 एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एन.एच.एम. के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में मिशन निदेशक, एन.एच.एम., आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रक, निदेशक, आई.ई.सी एवं परियोजना निदेशक (एड्स), निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, निरीक्षण विभाग, निदेशक, परिवार कल्याण, वित्तीय सलाहकार (जन स्वा0), वित्तीय सलाहकार (परिवार कल्याण), निदेशक (वित्त) एनएचएम, मुख्य लेखाधिकारी, आई.ई.सी., लेखाधिकारी, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरएमएससीएल, संयुक्त निदेशक, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर एवं महालेखाकार कार्यालय से वरिष्ठ लेखाधिकारी उपस्थित हुए।

बैठक में जनलेखा समिति, सीएजी पैरा, ड्राफ्ट पैरा महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की विस्तृत समीक्षा की गयी साथ ही गबन/चोरी आदि के प्रकरणों पर विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा उपरान्त बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:–

1. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि महालेखाकार कार्यालय के बकाया आक्षेपों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान कर, महालेखाकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालना मय प्रमाणक भिजवाते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें, तथा जो प्रक्रियात्मक आक्षेप लम्बे समय से बकाया है, की ओर विशेष ध्यान देते हुए निरस्तीरकण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. को निर्देशित किया गया कि महालेखाकार के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित आक्षेपों का वर्गीकरण कर, महालेखाकार स्तर पर बैठक का आयोजन कर महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर आक्षेप निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें।
3. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रक को निर्देशित किया गया कि महालखेाकार की बकाया प्रथम अनुपालना 07 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ संस्थाओं को निर्देश जारी कराते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें।
4. मिशन निदेशक एन.एच.एम एवं निदेशक (जन–स्वास्थ्य) को निर्देशित किया गया कि बकाया तथ्यात्मक प्रतिवेदनों का प्रत्युत्तर 07 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि बकाया सीएजी/विनियोग लेखें का प्रत्युत्तर महालेखाकार संवीक्षा टिप्पणी उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र भिजवावें।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य) को निर्देशित किया गया कि बकाया ओ.बी. आईटम्स की अनुपालना मय प्रमाणक शीघ्र भिजवाने हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ संस्थाओं को निर्देशित करें।
7. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि गबन/चोरी प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए प्रकरण में वांछित कार्यवाही करते हुए निस्तारण की कार्यवाही करावें।
8. प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा चोरी/गबन प्रकरणों को लम्बित रहने पर गंभीरता से लेते हुए समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि चोरी/गबन के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बैठक का आयोजन कर निस्तारण की कार्यवाही करावें तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित संस्था प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें।
9. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करते हुए निस्तारण की कार्यवाही करावें।
10. निदेशक, परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदन के (विराटनगर प्रकरण में) वसूली/कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ संस्थाओं को देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें।

11. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि निदेशक, निरीक्षण विभाग के बकाया आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अनुभाग/विभागों के साथ बैठक कर निर्देश जारी करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें।

12. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि निदेशक, निरीक्षण विभाग के बकाया भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें।

बैठक सधन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

यह कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/ 898 दिनांक : 04/4/25

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, स्टेशन रोड़, जयपुर।
4 प्रधान महालेखाकार, (जी.एस.एस.ए.), राजस्थान, जयपुर।
5 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, लि0 जयपुर।
6 निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
7 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण संघटन, जयपुर।
8 वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी.एस.एस.ए.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग राजस्थान जयपुर।
10 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
11 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
12 निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, ए. ब्लॉक, चतुर्थ तल, आर.सी.दवे. मार्ग, राज., जयपुर।
13 निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
14 निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
15 परियोजना निदेशक (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी), मुख्यालय।
16 निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर।
17 निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
18 अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
19 अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
20 निदेशक (वित्त), एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
21 मुख्य अभियन्ता, एनएचएम, मुख्यालय।
22 संयुक्त निदेशक (योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, मुख्यालय।
23 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन..............
24 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ईमेल करावे।
25 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-rj@nic.in>.
Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date :03-04-2025 01:42:54
R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\14188681\2118...\10210943.docx
RajKaj Ref No.: 14188681